

EXTRACT FROM THE GAZETTE OF INDIA : PART II, SEC. 3, SUB-SEC. (ii)

Appears on page No. 3944

Dated : 12-10-96

श्रम मंत्रालय

MINISTRY OF LABOUR

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 सितम्बर, 1996

का. घ. 2899.—केंद्रीय सरकार, भवन और अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 (1996 का 28) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना सं. का. घा. 1767-तारीख 17 मई, 1996 को अधिसूचित करते हुए भवन, और अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 (1996 का 27) के प्रयोजनों के लिए किसी निोजक द्वारा उपगत संनिर्माण की लागत के 1 प्रतिशत की दर से उपकर विनिर्दिष्ट करती है।

[का. सं. एस-61011/9/95-भार. इन्फ्यू. (भाग)]  
डी. के. त्रेहन, श्रम और नियोजन सहायक

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th September, 1996

S.O. 2899.—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Building and Other Construction Workers' Welfare Cess Act, 1996 (28 of 1996) and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour No. S. O. 1767 dated the 17th May, 1996, the Central Government specifies a cess for the purposes of the Building and Other Construction Workers (Regulation of Employment and Other Conditions of Service) Act, 1996 (27 of 1996), at the rate of 1 per cent, of the cost of construction incurred by an employer.

[F. No. S-61011/9/95-RW(Part)]  
D. K. TREHAN, Labour & Employment Adviser